तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु.नं. - 62/2022 दावा
10.7.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03.8.23 को पेश हो।
03.08.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का पेश किया जो शामिल मिशल किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का नाम हजफ किया जाता है। प्रकरण में बहस बहुपक्षयीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

03/08/23

दिलीप सिंह
(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
62 / 2023	2023 / 134	18.04.2023	03.08.2023

उनवान

1. सोहनलाल पुत्र नानूराम आयु 56 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी डाबड़ावाली तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— वादी—

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र भगवानाराम
2. कैलाश पुत्र भगवानाराम
3. झाबर पुत्र भगवानाराम
4. मोहनी देवी पत्नी भगवानाराम
5. पप्पूराम पुत्र मांगूराम उर्फ मांग्या

   समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी डाबड़ावाली तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
7. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा अजीतगढ़ जिला सीकर राजस्थान (नाम हजफ)
8. शाखा प्रबंधक, राजस्थाना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान (नाम हजफ)

——प्रतिवादीगण ——

9. बंशीधर पुत्र नानूराम
10. पांची देवी पत्नी मूलचन्द बाबूलाल पुत्र मूलचन्द
11. महेन्द्र पुत्र मूलचन्द

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:30 IST
Reason: SelfAttested

03/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

12. रामवतार पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी डाबडावाली तन् ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—तरतीबी प्रतिवादीगण—

उपस्थित : – श्री आदित्य प्रताव नरूका/श्री रणवीर सिंह शेखावत/श्री नरेश शर्मा एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कानाराम पुनियां/भारत भूषण सामोता एड0 प्रतिवादी संख्या–5

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–6

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दावा बाबत उद्षोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एव दुरूस्ती रिकॉर्ड

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3043 ता 3052 कुल किता 10 कुल रकबा 4.28 है0 तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त भूमि की 1/4 हिस्से की खातेदारी गलती से बक्सा पुत्र लादूराम के गलत रूप से नाम दर्ज चली आ रही है। वादी एवं तरतीबी पक्षकारगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। सजरा खानदान के अनुसार लादूराम के तीन पुत्र मांगूराम उर्फ मांग्या, नानूराम भगवानाराम हुये है तथा मृत्तक लादूराम के बक्सा नाम का कोई पुत्र नहीं हुआ है तथा केवल तीन पुत्र ही हुये है। बक्सा पुत्र लादूराम का कोई व्यक्ति गांव, समाज में नहीं है ना ही [illegible] ने देखा है तथा लादूराम के तीन पुत्र मांगूराम उर्फ मांग्या, [illegible] है तथा उक्त तीनों का स्वर्गवास हो चुका है जिनमें मांगूराम [illegible] नम्बर 5 वारिस है तथा मृत्तक नानूराम के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 9 पुत्र [illegible] एवं प्रतिवादी नम्बर 10 ता 13 पुत्रवधु

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:30 IST
Reason: SelfAttested

07/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

एवं पौत्र संतान होकर वारिस है एवं मृतक भगवानाराम के प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 वारिस है तथा वादी एवं तरतीबी पक्षकार एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 सभी वारिसान अपने-अपने सजरा खानदान के हिस्से अनुसार बक्सा पुत्र लादूराम के गलत रूप से नाम दर्ज 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी अनुसार पक्षकारान उक्त भूमि पर अपने वक्त बुजुर्गान से तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व रोकटोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त कर रहे है। इस कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार पर विपरीत कब्जा के आधार पर भी वादीगण कानूनन उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार हो चुके है और उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वादी कानूनन अधिकारी है। वादी एवं तरतीबी पक्षकार उक्तानुसार वक्त बुजुर्गान अर्थात् पिता/दादा के समय से लगातार अपने हिस्सेनुसार बक्सा पुत्र लादू के नाम दर्ज भूमि पर काबिज काश्त होने से उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है। अर्थात् वादी एवं तरतीबी पक्षकार अपने उक्त अधिकारों की घोषणा बाबत यह दावा प्रस्तुत कर रहे है, क्योंकि उक्त भूमि पर वादी एवं तरतीबी पक्षकार उक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त है। अर्थात् इस भूमि पर वादी एवं तरतीबी पक्षकारान को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और उक्त अधिकारों की घोषणा किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है क्योंकि उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अभाव में वादी एवं तरतीबी पक्षकार अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहे है। जिसके बाबत वादी एवं तरतीबी पक्षकार को सख्त हकतल्फी है तथा वादी एवं तरतीबी पक्षकार उक्त घोषणा के अभाव में वक्त बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नहीं कर पा रहे है तथा समय-समय पर भू-धारकों को मिलने वाली राजकीय सहायताओं से भी वादीगण वंचित हो रहे है। वादी एवं तरतीबी पक्षकार ने प्रतिवादीगण को भूमि की खातेदारी अपने-अपने हिस्से अनुसार नाम करवाने के लिए बार-बार कहते रहे व वादी एवं तरतीबी पक्षकर को प्रतिवादीगण उनकी उक्त भूमियों की खातेदारी वादी एवं तरतीबी पक्षकार के नाम करवाने का काफी समय से आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 20.03.2023 को प्रतिवादीगण ने वादी एवं तरतीबी पक्षकार की उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के नाम करवाने से स्पष्ट मना कर दिया व स्वयं के [illegible] करवाने की एहलानिया धमकी देने वादी एवं तरतीबी पक्षकार के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये, यही वातावरण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) सवाईमाधोपुर

07/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
सवाईमाधोपुर (मीडर)

हुआ। प्रकरण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3043 ता 3052 कुल किता 10 कुल रकबा 4.28 है0 तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में बक्सा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 5 को 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से बक्सा पुत्र लादूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री कानाराम पुनियां और भारत भूषण सामोता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पक्षकारान द्वारा प्रशासन गाँव एवं शहरों के संग अभियान में एक पारिवारिक समझौता दिनांक 15.06.2023 को पेश किया। जिसमें पक्षकारान द्वारा बक्सा पुत्र लादू के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 को मौके पर लादू के तीन पुत्र संतान (1) मांगू उर्फ मांग्या, (2) नानू राम (3) भगवाना राम में बराबर–बराबर बांटकर इसी अनुसार खातेदारी अंकित किये जाने बाबत अपनी–अपनी सहमति प्रदान की है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3043 ता 3052 कुल किता 10 कुल रकबा 4.28 है0 तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में बक्सा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 5 को 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से बक्सा पुत्र लादूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ चाही है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत् नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का पेश कर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का नाम हजफ किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी समझौता/राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकलाय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान के पूर्वज के नाम दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested

होना प्रकट होता है। उपरोक्तानुसार वादी का वादपत्र स्वीकार होने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

——:: क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बावत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3043 ता 3052 कुल किता 10 कुल रकबा 4.28 है0 तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में बक्सा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 5 को 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से बक्सा पुत्र लादूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

03/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

03/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)